कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय

ब्लॉक –3, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

Email- slqaccg@gmail.com; Website- highereducation.cg.gov.in

क्र0 523 / 187 / आउशि / गु.प्र. / 2024 नवा रायपुर दिनांक 22 / 05 / 2024

प्रति,

1. कुलसचिव,
   समस्त राजकीय एवं निजी विश्वविद्यालय,
   छत्तीसगढ़
2. प्राचार्य
   समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय,
   छत्तीसगढ़

विषय :– संस्थागत स्तर पर गठित "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्रियान्वयन प्रकोष्ठ" के दायित्व / कर्तव्य निर्धारण बाबत्।

संदर्भ :– कार्यालयीन पत्र कं. 513 / 187 / आउशि / गु.प्र. / 2024 दिनांक 10.05.2024

—00—

उपरोक्त संदर्भित पत्रानुसार प्रत्येक शैक्षणिक संस्था में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आगामी शैक्षणिक सत्र से सुचारू क्रियान्वयन हेतु "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्रियान्वयन प्रकोष्ठ" (NEP 2020 Implemention Cell) का गठन किया गया है। गठित प्रकोष्ठ के दायित्व / कर्तव्य निम्नानुसार निर्धारित किये जाते हैः–

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने हेतु संस्थागत स्तर पर चरणबद्ध तैयारी की रूपरेखा निर्माण करना।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों (जैसे – एकाधिक निकास एवं एकाधिक प्रवेश, क्रेडिट आधारित कोर्स संरचना, सेमेस्टरवार सतत् मूल्यांकन प्रक्रिया इत्यादि) से सभी स्टेकहोल्डर (जैसे – शैक्षणिक / अशैक्षणिक स्टाफ, विद्यार्थी, अभिभावक इत्यादि) को अदगत कराना ताकि क्रियान्वयन की प्रक्रिया का निष्पादन सरलता से किया जा सके।
3. प्रवेश प्रक्रिया अंतर्गत विद्यार्थियों एवं अभिभावकों / पालकों से समन्वय स्थापित कर बहुविषयी (Multidisciplinary) अवधारणा एवं लर्निंग आउटकम आधारित कोर्स करिकुलम की व्याख्या करते हुये अभ्यर्थियों को संकाय / विषय चयन में सहयोग करना।
4. प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात संस्था में इन्डक्शन कार्यक्रम आयोजित कर प्रवेशित विद्यार्थियों को उपलब्ध कोर्स समूह (Pool) में से AEC (Ability Enhancement Course), GE (Generic Elective), VAC (Value Added Course) एवं SEC (Skill Enhanement Course) के चयन में समन्वय एवं सहयोग प्रदान करना तथा संस्थागत स्तर पर साधनों के अभाव से वे कोर्स जिनके संचालन में असुविधा हो, उनके संचालन हेतु अन्य विकल्प तलाशना (जैसे MOOC, Online Video Lecture, Collaboration with other colleges इत्यादि)
5. उपरोक्तानुसार चयनित कोर्स में दर्ज विद्यार्थियों की सूची अध्यापन हेतु संबंधित विभाग / संकाय को तथा समय–सारणी समिति को प्रेषित करते हुये क्रेडिट अनुरूप अध्यापन समयावधि सुनिश्चित करना।
6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होने से अतिरिक्त कार्यभार की स्थिति में योजनाबद्ध कार्य विभाजन करना ताकि आध्यापकों / विद्यार्थियों पर न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव आये।
7. सेमेस्टरवार अध्ययनरत् विद्यार्थियों को कोर्सवार सतत् आंतरिक मूल्याकंन प्रक्रिया (Continuous Internal Assessment) संबंधित स्पष्ट जानकारी प्रदान करते हुये नियमानुसार आंतरिक मूल्याकंन प्रक्रिया का समुचित संपादन करने हेतु समस्त विभागों / संकायों से समन्वय स्थापित करना तथा आंतरिक मूल्याकंन के पूर्ण होने के उपरान्त प्राप्तांको की सूची विश्वविद्यालय को समयानुसार प्रेषित करना।

क्रमशः ....2..........

8. अन्य महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित उत्तम नीतियों की पहचान कर अपने संस्थान में यथासंभव उन्हें लागू करने का प्रयास करना।
9. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सुचारू क्रियान्वयन हेतु समय–समय पर चिन्हांकित अन्य आवश्यक कार्यों का निष्पादन करना।

कृपया समिति के संयोजक एवं सदस्यों को उपरोक्तानुसार सूचित करते हुये संस्थागत स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

22.5.2024

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पृ. क्र0 524/187/आउशि/गु.प्र./2024 **नवा रायपुर दिनांक 22/05/2024**

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, को सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक .... संभाग को सूचनार्थ।

22.5.2024

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)